न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 10/2024

अपीलार्थी

मानाराम पुत्र वागाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– जैला, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह आढ़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

—: निर्णय :— **दिनांक 16 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 172/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 09.2.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढ़ा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रृटि की है। हल्का पटवारी, अपने मुकदमें को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धांत हैं कि वादी अपने पैरों पर खड़ा हों, अर्थात प्रार्थी को अपना केस साबित करना था, अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अनदेखी कर अपीलार्थी को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने, तथा जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार नही किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अतिक्रमण करने का तथ्य गलत अंकित किया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है एवं न ही अवैध कब्जा किया है, बल्कि हकीकत यह है कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पुराने कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलार्थी का अपने पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। जिससे अपने पुराने कब्जा–काश्त के आधार पर विवादित भूमि को अपीलार्थी नियमन कराने का पात्र व्यक्ति है। अपीलार्थी एक गरीब व अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति है तथा विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काश्त करके अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। यह कि विवादित भूमि काफी उबड खाबड पथरिली भूमि थी जिसे अपीलार्थी ने काफी रकम खर्च करके व मेहनत करके उपजाऊ बनाया है। अपीलार्थी का मौके पर कब्जा काश्त

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अनवरत रुप से चला आ रहा है। यह कि विवादित खसरा संख्या 289 की भूमि ग्राम जैला, पँटवार हल्का जैला में स्थित है तथा पटवारी हल्का जैला द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही पेश की है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त भूमि को ग्राम मेरमाण्डवाडा की भूमि मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वविवेक का उपयोग किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.2.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, जैला द्वारा संवत 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खसरा संख्या 289 रकबा 1.00 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर काश्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही किया। विवादित भूमि राजस्व भू अभिलेख राजकीय बिलानाम किस्म गै.मु. कातरा दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। लिपिकिय टंकन की गलती से अपीलाधीन निर्णय में विवादित भूमि ग्राम जैला की जगह ग्राम मेरमाण्डवाडा की भूमि अंकित हुआ है, जबकि विवादित भूमि ग्राम जैला में स्थित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, जैला द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2080 में ग्राम जैला के खसरा संख्या 289 रकबा 1.00 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा–काश्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 09.2.2024 को उपस्थित हुआ, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खसरा संख्या 289 रकबा 1.00 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम जैला, पटवार जैला के खसरा संख्या 289 रकबा 1.00 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही